भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1094

09 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति

1094 श्री बी. पार्थसारधी रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी आभा आईडी बनाई गई हैं और कितनी सुविधाएं जोड़ी गई हैं;
(ख) क्या यू-विन प्लेटफॉर्म ने टीकाकरण रिपोर्टिंग में सुधार किया है और यदि हां, तो नवीनतम कवरेज डेटा क्या है;
(ग) इस वर्ष कितने टेली-मानस केंद्र कार्यशील हैं और कितनी परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं; और
(घ) क्या मानसिक स्वास्थ्य अभियान लक्षित जनसंख्या तक पहुँच पाए हैं, जिसे मापन योग्य परिणाम डेटा द्वारा समर्थित किया गया है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की शुरुआत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाने के उद्देश्य से की गई है जो स्वास्थ्य पारिस्थितिकी के भीतर स्वास्थ्य डेटा की अंतर-संचालनीयता को सक्षम बनाता है ताकि प्रत्येक नागरिक का इलेक्ट्रॉनिक रूप से समग्र स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। 4 दिसंबर, 2025 तक, कुल 83,58,10,186 आयुष्मान भारत खाते (एबीएचए) बनाए जा चुके हैं। 4 दिसंबर, 2025 तक एबीडीएम सक्षम सॉफ़्टवेयर वाले सुविधा केंद्रों (सार्वजनिक और निजी दोनों) की राज्यवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

जी हाँ, यू-विन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से स्वास्थ्य सेवा कर्मियों द्वारा प्रतिरक्षण सेवाओं की रिपोर्टिंग की सुगमता में सुधार हुआ है। यू-विन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की ऑफ़लाइन पद्धति इंटरनेट कनेक्टिविटी रहित क्षेत्रों में भी डेटा प्रविष्टि में सहायता करती है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज 98.6% है।

सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनटीएमएचपी)" शुरू किया है। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। टेली-मानस सेवाएँ राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं और हेल्पलाइन नंबर पर 29,82,000 से अधिक कॉलों का उत्तर दिया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान, एनटीएमएचपी हेल्पलाइन के माध्यम से लगभग 9 लाख 92 हज़ार कॉलों का उत्तर दिया गया है।
मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

मानसिक रोगों के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए समुदाय, स्कूलों, कार्यस्थलों पर सामुदायिक भागीदारी के साथ सूचना, शिक्षा और संवाद (आईईसी) गतिविधियाँ और जागरूकता सृजन गतिविधियाँ एनएमएचपी का अभिन्न अंग हैं।

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) का कार्यान्वयन मानसिक बीमारी का पता लगाने, उसका प्रबंधन और उपचार करने के लिए किया जाता है, जिसके प्रमुख घटक स्कूलों और कॉलेजों में परामर्श, कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण, आत्महत्या रोकथाम सेवाएं और जागरूकता पैदा करने तथा मानसिक बीमारी से जुड़े लांछन को दूर करने के लिए सूचना, शिक्षा और संवाद (आईईसी) की गतिविधियां हैं।

अनुलग्नक

एबीडीएम सक्षम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले सुविधा केंद्रों (सरकारी और निजी दोनों) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एबीडीएम सक्षम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाली सुविधा केंद्र
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	104
आंध्र प्रदेश	17,707
अरुणाचल प्रदेश	382
असम	6,707
बिहार	14,268
चंडीगढ़	206
छत्तीसगढ	7,306
दिल्ली	1,700
दादरा नगर हवेली और दमन एवं द्वीव	157
गोवा	392
गुजरात	14,732
हरियाणा	4,155
हिमाचल प्रदेश	2,625
जम्मू एवं कश्मीर	3,961
झारखंड	2,558
कर्नाटक	16,590
केरल	7,890
लद्दाख	313
लक्षद्वीप	32
मध्य प्रदेश	9,022
महाराष्ट्र	20,853
मणिपुर	504
मेघालय	620
मिजोरम	601
नागालैंड	539
ओडिशा	7,687
पुदुचेरी	162
पंजाब	5,399
राजस्थान	8,624
सिक्किम	214
तमिलनाडु	12,737
तेलंगाना	7,317
त्रिपुरा	423
उत्तर प्रदेश	42,417
उत्तराखंड	1,239
पश्चिम बंगाल	11,871
